केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/66 दिनांक: 27.02.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00052
CICOM/R/2019/90001

अपीलकर्ता : श्री मुनीष कुमार शांडिल्य,
ओल्ड द्रोणाचार्य स्कूल के पास,
दीदार नगर, वार्ड नं. 26,
कुरूक्षेत्र, हरियाणा – 136119.

निर्णय की तारीख: 27.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.01.2019 (ऑनलाइन)
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	16.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	80/25.02.2019 (9128/20.02.2019)

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संबोधित अपीलकर्ता का दिनांक 16 जनवरी, 2019 को आर.टी.आई. आवेदन जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 3, 4 एवं 5 से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 25.01.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग का ऑनलाइन अग्रसारित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3, 4 एवं 5 के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा **इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

28/02/19

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 FEB 2019
D. No......
Initials......